न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 109/14 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2014/00379

उनवान

1. श्रीगती गंगादेई पत्नी नेतराम(फौत)
2. सुनीता पुत्री नेतराम
3. राजवीर सिंह
4. दानवीर सिंह } पुत्रान नेतराम
5. हेमन्त कुमार
6. श्रीमती चन्दा देवी पत्नी गिर्राज
7. कमल सिंह
8. अशोक सिंह } पुत्रगण गिर्राज
9. घनश्याम
10. अनीता } पुत्री गिर्राज
11. पप्पी
12. राग सिंह } पुत्रगण परभाती
13. खुशीराम

जातियान खाती नि0 ग्राम करही तह0 नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.05.2014 प्रकरण संख्या 182/07 उनवान नेतराम बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. पैरोकार सरकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–20.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1165, 1166, 1172 किता 03 रकवा 0.90 है0 जो गत खसरा नम्बर 558 रकवा 05 बीघा 06 विस्वा से बना है एवं हाल खसरा नम्बर 1163, 1164, 1167, 1168, 1169 किता 05 रकवा 1.18 है0 जो गत खसरा नम्बर 559 रकवा 07 बीघा 02 विस्वा से बना है के निस्फ हिस्से पर वादीगण अपीलाण्ट के पिता बंसता संवत 2003 से

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

गैर मौरूसी कृषक काबिज काश्त रहे हैं। इस प्रकार वादीगण अपीलाण्ट के पूर्वजो को आरटीएक्ट 1955 के प्रभावशील होते ही अधिकार खातेदारी स्वतः प्राप्त हो गये। परन्तु उन्हें खिलाफ कब्जा मौका व खिलाफ कानून खातेदार दर्ज रिकार्ड करने के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जा रहा है। हाल रिकार्ड में भी वादीगण के पिता को गैर खातेदार दर्जा किया हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2014 से आंशिक डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दौराने बहस, बार बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद पैरोकार सरकार उपस्थिति नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलाण्ट का दावा तो डिक्री कर दिया परन्तु आराजी खसरा नम्बर 1172/0.41 में से रकवा 0.36 है0 डिक्री किया गया है। शेष रकवा 0.05 है0 को सिवायचक घोषित किया गया है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1169/0.59 में से 0.55 पर खातेदार घोषित किया गया है। लेकिन शेष रकवा 0.04 है0 को सिवायचक घोषित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में दोनों खसरा नम्बरान के 0.05 एवं 0.04 पर सिवायचक घोषित करने का आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली के है। क्योंकि ना तो कोई जवाब दावा प्रतिवादी रैस्पो0 की ओर से दिया गया है एवं ना ही वेशी रकवा किसका है कोई कथन ही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के पिता ससुर बाबा की गैर मौरूसी की आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले रही है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि कस्टोडियन भूमि का अगर आवंटन होता तो ही नियमितकरण व बकाया राशि वसूलने का अधिकार हासिल था जबकि प्रकरण में तो गैर मौरूसी से खातेदारी प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। इसलिये नियमित करण एवं बकाया राशि वसूलने एवं आदेश देने का अधिकार हासिल नही है एवं नियम विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी के है। जैसा कि जिला कलक्टर भरतपुर के पत्र दिनांक 14.10.2014 में भूतलक्षी प्रभाव नहीं होना अवगत कराया है। जमाबन्दी संवत 2003 में नाम मालिक के खाने में सदीका वगै0 मजकूर लिखा होने से विवादित आराजी को कस्टोडियन भूमि नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को हाल खसरा नम्बर 1172/1 मिन 0.05 एवं 1169/1 मिन 0.04 किता 02 रकवा 0.08 को सिवायचक मकबूजा सरकार एवं बकाया राशि एवं नियमतिकरण का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित पॉच तनकियॉ कायम की है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :-

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

5. तनकी संख्या 01 – अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी को वहक वादी/अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की गयी है। वादी/अपीलाण्ट की आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1172/1 मिन में से 0.05 है0 व 1169/1 मिन में से 0.04 है0 सिवायचक मकबूजा सरकार दर्ज करने एवं विवादित भूमि को कस्टोडियन मानने में कानूनी गलती की है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया। हम पाते हैं कि नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 1165/0.23, 1166/0.26, 1172/0.41 किता 03 रकवा 0.90 है0 गत खसरा नम्बर 558 मिन रकवा 05 बीघा 06 विस्वा से बनना प्रमाणित है। उक्त तीनो खसरा नम्बरो का रकवा गत के मुकाबले 0.05 है0 अधिक है। इसी प्रकार नवीन खसरा नम्बर 1163/0.26, 1164/0.29, 1167/0.01, 1168/0.03, 1169/0.59 किता 5 रकवा 1.18 है0 का गत खसरा नम्बर 559/7.02 से बनना प्रमाणित है। उक्त नवीन पाचों नम्बरो का रकवा गत से 0.04 है0 अधिक होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय ने हाल आराजी गत रकवा से क्रमशः 0.05 व 0.04 है0 कुल 0.09 है0 अधिक दर्ज होने एवं उसे सिवायचक मकबूजा सरकार दर्ज करने में, हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि पर संवत 2018 तक नाम मालिक के कॉलम में मु0 सदीका वगै0 मजकूर दर्ज रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आराजी को कस्टोडियन मानने एवं नियमितीकरण शुल्क बाबत् आदेश करना उचित ही है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कस्टोडियन भूमि निर्धारित राशि व नियमितीकरण शुल्क जमा कराने पर खातेदारी देने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी को, पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण रूप से विवेचना करते हुये, वहक वादी/अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। वादी/अपीलाण्ट की आपत्ति सारहीन होने के कारण काबिले खारिज है।

6. तनकी संख्या 02, 03, 04– तनकी संख्या 01 के निर्णय से प्रभावित होती हैं। अतः विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

7. अनुतोषः– समस्त तनकीयात का निस्तारण किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसे हम किसी भी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2014 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर